



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125136

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19238/2026

अनमोल

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, उत्कर्ष श्रीवास्तव
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन बी.एन.एस. की धारा 191 (2), 190, 125, 326 (जी), 333, 324(4), 115(2), 351(2), 3(5) और 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, पुलिस स्टेशन सेक्टर 63, जिला गौतम बुद्ध नगर के तहत मुकदमा अपराध संख्या 158/2026 में आवेदक को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा अज्ञात भीड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि 13.4.2026 को, वे एकत्र हुए और शिकायतकर्ता की कार्यशाला पर पथराव शुरू कर दिया और गार्ड को मारने और कुछ अन्य कर्मचारियों को पीटने अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



की कोशिश की। एफआईआर के अनुसार, घटना 13.4.2026 को हुई थी, लेकिन उचित देरी के बारे में बताए बिना 14.4.2026 को एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और केवल उस पर अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि, वर्तमान आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। आवेदक एक छात्र है। आवेदक के कब्जे से कोई वसूली नहीं दिखाई गई, न तो वह उपस्थित था और न ही उसे कथित घटना से कोई संबंध है। आवेदक का एक आपराधिक इतिहास है, जिसमें उसने संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत दी है (अनुलग्नक संख्या 3 और 4)। आवेदक 16.04.2026 से जेल में है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है।

राज्य के विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जमानत अस्वीकृति आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि आवेदक को एक अस्पष्ट और सामान्य भूमिका सौंपी गई है। एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा, आवेदक डेढ़ महीने से अधिक समय तक सीमित रहा है और मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर बढ़ जाता है, तो या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या मुकदमे में देरी करेगा या गवाह को डराएगा, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर विस्तार का हकदार है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **अनमोल** को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह:

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा। उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026